भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1368
दिनांक 30 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन

1368. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत मौजूदा 50 रुपये के जुर्माने का बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को संशोधित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे संशोधित करने की संभावित समय सीमा क्या है और बढ़ाए जाने के बाद प्रस्तावित जुर्माने की राशि क्या होगी; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी हां।
(ख) और (ग) प्रस्तावित संशोधन में आर्थिक दंड और जुर्माने के प्रावधान को बढ़ाना शामिल है। प्रस्ताव को अधिनियमों में किसी संशोधन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अग्रेषित किया जायेगा।

******